

विवाह एवं जीवन साथी के चुनाव में युवाओं का रुझान

डॉ. अनंदि लाल कुर्मी

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

शासकीय हमीदिया कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय भोपाल

Received- 26 July- 2026

Accepted- 27 July- 2026

Published- 30 September-2026

Corresponding Author-

डॉ. अनंदि लाल कुर्मी

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

शासकीय हमीदिया कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय
भोपाल

DOI- <https://doi.org/10.67275/SU.2026.041504>

Funding Policy-

‘Shodh Utkarsh’ is an independent journal and receives no financial support or grant from any public, commercial, or not-for-profit organization.

वित्त पोषण नीति-

‘शोध उत्कर्ष’ एक स्वतंत्र पत्रिका है। इसे किसी भी सार्वजनिक, वाणिज्यिक या गैर-लाभकारी संगठन से कोई वित्तीय सहायता, अनुदान या फंडिंग प्राप्त नहीं होती है।

Copyright Notice -

© 2026 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).

कापीराइट सूचना-

© 2026 लेखक। यह कार्य क्रेडिटिव कॉमन्स अ Attribution 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस (CC-BY 4.0) के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है।



समाजशास्त्री विवाह को एक पुरुष और एक स्त्री की भूमिकाओं की एक प्रणाली के रूप में देखते हैं, जिनके मिलन को पति-पत्नी के रूप में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रणाली के संतुलन के लिए दोनों भागीदारों के बीच सामंजस्य आवश्यक है ताकि एक साथी द्वारा निभाई गई भूमिका दूसरे की भूमिका संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

विवाह, समाज द्वारा स्वीकृत यौन सम्बन्धों को नियमित करने से सम्बन्धित एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो विवाह के बन्धन में बंधने वाले स्त्री-पुरुष को पति और पति को प्रस्थिति प्रदान करती है। प्रमुख विद्वानों ने विवाह की परिभाषाएँ इस प्रकार से दी हैं-

(1) बेस्टरमार्क (Westermarck) के अनुसार "विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला यौन सम्बन्ध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्य होता है तथा जिसमें दोनों पक्षों तथा उनके बच्चों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है।"⁽¹⁾

(2) लॉबी (Lowie) के अनुसार "विवाह उन स्वीकृत संगठनों को व्यक्त करता है जो इन्द्रिय सम्बन्धी सन्तोष (यौन सन्तुष्टि) के अतिरिक्त भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन को आधार प्रदान करता है।"⁽²⁾

(3) बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार "विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है।"⁽³⁾

(4) गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार "विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है।"⁽⁴⁾

भारतविद् हिंदू विवाह को संस्कार मानते हैं, जिसके तीन उद्देश्य हैं: धर्म (धार्मिक कर्तव्यों का पालन), रति (यौन संतुष्टि) और प्रजा (वंशवृद्धि)। धर्म के लिए किया गया विवाह धार्मिक विवाह कहलाता है, जबकि यौन सुख के लिए किया गया विवाह अधार्मिक विवाह माना जाता है।

कई कारणों से विवाह को पवित्र माना जाता रहा है-

(i) विवाह का सर्वोच्च उद्देश्य धर्म रहा है;

(ii) विवाह समारोह के निष्पादन में कुछ अनुष्ठान (जैसे हवन, कन्यादान, पाणिग्रहण, सप्तपदी आदि) शामिल थे, जिन्हें पवित्र माना जाता रहा है;

(iii) पवित्र ब्राह्मण द्वारा पवित्र वेदों के मंत्रों का पाठ करते हुए पवित्र देवता अग्नि के समक्ष अनुष्ठान किए गए जाते रहे हैं;

(iv) पुरुष और स्त्री के बीच का मिलन अविभाज्य और अपरिवर्तनीय माना जाता रहा है; और

(v) स्त्री की पवित्रता और पुरुष की निष्ठा पर जोर दिया जाता रहा है।

आज भी, हिंदू धर्म में विवाह की पवित्रता को मान्यता दी जाती है, भले ही विवाह साथी बनने के लिए किया जाता है, न कि कर्तव्यों के निर्वाह के लिए। जब भी यह विफल होता है, तो तलाक द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। आपसी निष्ठा और जीवनसाथी के प्रति समर्पण को आज भी विवाह का सार माना जाता है।

कपाडिया (1966)⁽⁵⁾ ने कहा है: "हिंदू विवाह आज भी एक पवित्र संस्कार है; बस इसे नैतिक स्तर तक ऊंचा उठाया गया है।"

पी.एच. प्रभु (P.H. Prabhu-1940)⁽⁶⁾ ने हिन्दू विवाह को एक धार्मिक संस्कार (कृत्य) कहा है, जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता या करती है। सरल शब्दों में कहें तो, हिंदू संस्कृति में विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच आध्यात्मिक अनुभूति के लिए किया जाने वाला आध्यात्मिक मिलन है। हिंदू संस्कृति (ब्रह्म विवाह के अलावा) विवाह के सात अन्य रूपों को भी मान्यता देती है जिनके आदर्श निम्न स्तर के हैं-

चार प्रकार के विवाह (कन्या मूल्य देकर सम्पन्न किये जाने वाले सभी विवाह)- असुर, (किसी महिला का उसके घर से जबरन अपहरण करना)- राक्षस, और (किसी पुरुष द्वारा किसी लड़की के सोए हुए, नशे में या मानसिक रूप से असंतुलित अवस्था में होने पर उसके साथ छेड़छाड़ करना) पैशाच, का आदर्श इतना नीच था कि उन्हें अधार्मिक विवाह कहा जाता है। गन्धर्व विवाह (युवक-युवती परस्पर प्रेम या काम के वशीभूत होकर स्वेच्छा से संयोग कर लेते हैं) आज के प्रेम विवाह (Love Marriage) जैसा है।

इन चारों धार्मिक विवाहों को मान्यता देने का मुख्य कारण 'पीड़ित' महिला को पत्नी का सम्मानजनक दर्जा प्रदान करना रहा है। शेष तीन प्रकार (एक महिला का विवाह एक पुरोहित, बुद्धिमान और धनी, कुलीन वर्ग के पुरुष से होता है)- देव, (यौन संतुष्टि और संतान प्राप्ति के जैविक उद्देश्य से विवाह करना)- प्रजापति, और (एक महिला का विवाह एक बुद्धिमान और चरित्रवान पुरुष (ऋषि) से होता है जो विवाह करने के लिए अनिच्छुक होता है, ताकि उसे बुद्धिमान संतान और सुखी गृहस्थी का वातावरण प्राप्त हो)- अर्श को धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया।

हिंदू समाज में जीवनसाथी के चयन का नियम अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और अतिविवाह की अवधारणाओं के अंतर्गत आता है। अंतर्विवाह एक सामाजिक नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने ही जाति और उपजाति के भीतर से जीवनसाथी का चयन करना होता है; बहिर्विवाह में एक ही गोत्र और सपिंडों (अर्थात् चचेरा, ममेरा, फूफेरा और मौसरा जैसे चचेरे भाई-बहनों) से विवाह वर्जित है; और अनुलोम के अनुसार उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह कर सकता है और इसके विपरीत भी। प्रारंभिक समाज में, जातिगत अंतर्विवाह प्रथा कारगर थी क्योंकि इससे जाति के व्यावसायिक रहस्यों का संरक्षण होता था। जाति की एकजुटता बनी रहती थी और जाति की सदस्यता या संख्या में कमी नहीं आती थी। वर्तमान समाज में, हालांकि इससे वैवाहिक समायोजन आसान हो जाता है, फिर भी यह कुछ मायनों में अप्रभावी साबित हुई है क्योंकि इससे अंतरजातीय तनाव उत्पन्न होता है जो देश की राजनीतिक एकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। जीवनसाथी के चयन के दायरे को सीमित और संकुचित करता है, और दहेज, बाल विवाह आदि जैसी समस्याएं पैदा करता है।

आज के समय में जीवनसाथी का चुनाव तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित है: चुनाव में शामिल पक्ष, चुनाव के मानदंड और चुनाव का क्षेत्र। पहले बच्चों के लिए जीवनसाथी का चुनाव माता-पिता करते थे, लेकिन अब बच्चे माता-पिता और बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से जीवनसाथी के चुनाव में विश्वास करते हैं, हालांकि व्यक्तिगत चुनाव (अर्थात् बच्चों द्वारा स्वयं चुनाव) के मामले भी दुर्लभ नहीं हैं। माता-पिता द्वारा जीवनसाथी के चुनाव के मानदंड बच्चों के मानदंडों से काफी भिन्न हैं।

मुसलमानों में विवाह: मुस्लिम समाज में केवल शिया और सुन्नी ही नहीं, बल्कि अशरफ (सैय्यद, शेख, पठान आदि), अजलब (मोमिन, मंसूरी, इब्राहिम आदि) और अर्जल (हलालखोर आदि) जैसे वर्ग भी हैं। अशरफ कुलीन वर्ग के होते हैं, अजलब निम्न वर्ग के और अर्जल सबसे निम्न वर्ग के होते हैं। ये सभी समूह अंतर्विवाही हैं और इनके बीच अंतरजातीय विवाह निंदनीय और हतोत्साहित हैं। मुल्ला (1906) (7) के अनुसार "निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषा किया जाता है, जिसका उद्देश्य

संतानोत्पत्ति और संतानों को वैधता प्रदान करना है।" कपाडिया (Kapadia)⁽⁸⁾ के अनुसार "इस्लाम में विवाह एक अनुबन्ध है जिसमें दो साथियों के (प्रत्येक पक्ष का एक) हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबन्ध का प्रतिफल (Consideration) 'मेहर' वधू को भेंट दी जाती है।" अली (1940)⁽⁹⁾ के अनुसार- "मुस्लिम विवाह एक संविदा (अनुबन्ध) है जिसके लिए न तो किसी पुरोहित (मुल्ला) की आवश्यकता होती है और न ही किसी धार्मिक कर्मकाण्ड की।"

मुस्लिम विवाह, जिसे निकाह कहा जाता है, हिंदुओं के धार्मिक विवाह के विपरीत एक नागरिक अनुबन्ध माना जाता है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं: यौन संबंध पर नियंत्रण, संतानोत्पत्ति और परिवार की निरंतरता, बच्चों का पालन-पोषण और घरेलू जीवन का सुव्यवस्थापन। एस.सी. सरकार भी मानते हैं कि मुसलमानों में विवाह एक नागरिक अनुबन्ध है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि मुस्लिम विवाह का कोई धार्मिक कर्तव्य नहीं है। यह भक्ति और इबादत का एक कार्य है।

ईसाइयों में विवाह: हिंदुओं और मुसलमानों की तरह, ईसाइयों में भी स्तरीकरण देखने को मिलता है। ईसाई दो समूहों में विभाजित हैं: प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। कैथोलिकों को आगे लैटिन और सीरियाई ईसाइयों में उपविभाजित किया गया है। ये सभी समूह और उपसमूह अंतर्विवाही हैं।

ईसाई धर्म में, हिंदू और मुस्लिम धर्मों की तरह, विवाह का मुख्य उद्देश्य यौन संबंधों और संतानोत्पत्ति के लिए सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना है। इसके अलावा, ईसाई विवाह में धर्म का भी बहुत महत्व है। ईसाई मानते हैं कि विवाह ईश्वर की इच्छा से होता है, और विवाह के बाद पुरुष और स्त्री एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ईसाई विवाह के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: संतानोत्पत्ति, व्यभिचार (विवाह रहित यौन संबंध) से मुक्ति, और आपसी सहयोग और सांत्वना। जीवनसाथी का चुनाव माता-पिता या बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। हालांकि, 10 में से 9 मामलों में, जीवनसाथी का चुनाव और विवाह का निर्धारण माता-पिता द्वारा ही किया जाता है। जीवनसाथी का चुनाव करते समय रक्त संबंधों से बचने पर विशेष ध्यान दिया जाता है और परिवार की सामाजिक स्थिति, चरित्र, शिक्षा, शारीरिक क्षमता आदि को महत्व दिया जाता है। ईसाई और हिंदू धर्म में रक्त संबंध और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगभग एक जैसे हैं। है। सगाई अ ईसाई धर्म में मुसलमानों की तरह 'पसंदीदा व्यक्ति' की प्रथा नहीं है।

वर्तमान समय अनेक अध्ययन बताते हैं कि जापान, फ्रांस सहित अनेक यूरोपीय समाजों में युवा विवाह करना नहीं चाहते। भारत में भी यह प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, साथ ही भारतीय समाज में सोनम कांड, नीले ड्रम आदि घटनाओं के प्रभाव से विवाह संस्था से युवाओं को भय सा हो गया है (उनसे इसके बारे में अक्सर सुना जा सकता है) पहले विवाह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऋणों से उद्भूत होने हेतु आवश्यक माना जाता था। महिला के लिए तो विवाह मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों के दृष्टिकोण को बदला है तथा आज विवाह करना कई लोग आवश्यक नहीं मानते। कई युवाओं का दृष्टिकोण है कि विवाह कैरियर में बाधक है तथा वे अविवाहित रहना पसंद करते हैं। पहले कोई व्यक्ति अविवाहित रहता था तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। महिला के लिए तो अविवाहित रहना असंभव था, परन्तु अब इनको समान रूप से देखा जाता है। विवाह करना या नहीं करना व्यक्तिगत मामला माना जाने लगा है। अब समाज के प्रतिबंध इस मामले में पहले जैसे कठोर नहीं हैं।

किसी समाज की संस्कृति एक गत्यात्मक सामाजिक यथार्थ है जो निरन्तर परिवर्तनशील है। संस्कृति में परिवर्तन होने पर समाज की संस्थाओं जैसे विवाह, परिवार, जाति, धर्म, नातेदारी आदि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन समाज की प्रकृति है। विवाह संस्था पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा है हालांकि इन परिवर्तनों की गति कभी बहुत धीमी हो गई तो कभी काफी तीव्र। वर्तमान समय में विवाह संस्था में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन युवा संस्कृति की प्रकृति के अनुसार हो रहे हैं। आज का युवा नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, नवीन कानूनों के प्रभाव, महिला आन्दोलन, विज्ञान के प्रसार, तार्किकता, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, स्त्रियों की शिक्षा तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर में रह रहा है। वैश्वीकरण के वातावरण ने युवाओं के दृष्टिकोणों को पहले से काफी बदल दिया है। युवाओं के बदलते दृष्टिकोणों का विवाह जैसी प्राथमिक सामाजिक संस्था पर प्रभावशाली असर डाला है।

अध्ययन के उद्देश्य – वर्तमान समय में विवाह सम्बन्धी प्रवृत्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. विवाह के प्रति युवाओं की रुचि को जानना।
2. जीवन साथी के चुनाव में प्रमुख कारक को ज्ञात करना।
3. भावी जीवन साथी के प्रति समानता/ असमानता के भाव को जानना।
4. जीवन साथी के कैरियर के सम्बन्ध में युवाओं की रुचि को जानना।
5. विवाह के बाद परिवार के लगाव को ज्ञात करना।
6. पत्नी के मायके के सम्बन्ध में युवाओं की रुचि को जानना।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत शोध कार्य में ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के युवाओं को अध्ययन के लिए चयनित किया गया है। इसमें शासकीय श्याम सुन्दर अग्रवाल स्नातकोत्तर, सिहोरा जोकि ग्रामीण क्षेत्र एवं शासकीय हमीदिया कला एवं भोपाल जो कि महानगर में स्थित है, के महाविद्यालयों के छात्रों का चयन किया गया है।

शोध प्रविधि- ज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य अपरिहार्य है। वर्तमान युग में शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित तथ्यों का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण, एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध कार्य गवेषणात्मक शोध (Exploratory Research) के अन्तर्गत किया गया है जिसमें उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जिन के विषय में या तो कोई जानकारी नहीं होती या बहुत कम जानकारी होती है। इस प्रकार के शोध में क्या, कब, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि सामाजिक परिवर्तन के तारतम्य में परम्परागत संस्था विवाह के सम्बन्ध में युवाओं की प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन आये हैं। अध्ययन हेतु 100 युवाओं का चयन सरल देव निदर्शन से किया गया है तथा उन्हीं से तथ्य एकत्रित किये गए हैं। सभी युवा 18 वर्ष से 36 वर्ष के अविवाहित हैं। कुल युवाओं में 06 युवा इस्लाम धर्म को मानने वाले एवं बाकी 94 युवा हिन्दू धर्म को मानने वाले हैं।

प्रस्तुत शोध विषय से सम्बन्धित वास्तविक एवं विश्वसनीय आँकड़ोंको प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का एकत्रीकरण कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आँकड़े गूगल फॉर्म पर निर्मित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किये गए हैं। जबकि द्वितीयक आँकड़े विवाह के सम्बन्ध में युवाओं की रुचि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकाशित- अप्रकाशित पुस्तकों, शोधपत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि से एकत्र कर प्रयोग किये

गये हैं। प्राप्त आँकड़ों का सम्पादन, संकेतीकरण एवं सारणीयन करके विश्लेषण कर निष्कर्ष निकले गए हैं।

उपलिब्धियाँ-

अध्ययन क्षेत्र में अध्ययन के दौरान तथ्यों को प्राप्त करने के बाद, संकलित तथ्यों को विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनका विवराणात्मक विश्लेषण किया गया है, जोकि इस प्रकार है-

विवाह में विश्वास सम्बन्धी मत तालिका क्र. 1

मत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	92	92
नहीं	08	08
कुल	100	100

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल 100 उत्तरदाता में से सर्वाधिक 92 उत्तरदाता विवाह के पक्ष में हैं, लेकिन 100 में 08 उत्तरदाता विवाह के पक्ष में नहीं हैं, इसका तात्पर्य यह है कि कम ही सही लेकिन भारतीय समाज में विवाह न करने की प्रवृत्ति आकार लेने लगी है।

तालिका क्र. 2

विवाह में विश्वास नहीं करने का कारण

मत	संख्या	प्रतिशत
विवाह में विश्वास नहीं है	2	25
पत्नी से डर लगता है	2	25
सामाजिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है	4	50
कुल	08	100

तालिका क्रमांक 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल 08 उत्तरदाता जोकि विवाह करना नहीं चाहते उनमें से 25-25 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्हें विवाह जैसी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है तथा पत्नी से डर लगता है, सामाजिक संस्थाओं पर विश्वास न करने वाले उत्तरदाता 50 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि लोगों का एक ओर सामाजिक संस्थाओं पर विश्वास कम होने लगा है तथा सोनम कांड आदि की वजह से युवाओं पत्नी से डर लगने लगा है।

तालिका क्र. 3

जीवन साथी के चुनाव में महत्वपूर्ण कारक

मत	संख्या	प्रतिशत
सुन्दरता	07	7.60
शिक्षा	19	20.66
धन (दहेज)	00	00
सभी	66	71.74
कुल	92	100

तालिका क्र. 03 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि (विवाह में विश्वास रखने वाले) कुल 92 उत्तरदाताओं में सबसे अधिक 66 उत्तरदाता सुन्दरता, शिक्षा और धन अर्थात दहेज को जीवन साथी के चुनाव में महत्वपूर्ण मानते हैं, 19 उत्तरदाता शिक्षा और 07 उत्तरदाता सुन्दरता को महत्व देते हैं। इसका तात्पर्य है कि आज भी विवाह में रुचि रखने वाले युवा सुन्दरता और शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं आज तक धन अर्थात दहेज का महत्व कम नहीं हुआ है।

तालिका क्र. 4 जीवन साथी को दर्जा

मत	संख्या	प्रतिशत
समान	58	63.05
ऊपर	30	32.61
नीचे	04	4.34
कुल	92	100

तालिका क्र. 04 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 58 व्यक्ति जीवन साथी (पत्नी) को अपने समान दर्जा देना चाहते हैं, 30 उत्तरदाता ऊपर दर्जा देना चाहते हैं एवं 04 युवा पत्नी को निम्न दर्जा देना चाहते हैं। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा आदि के प्रभाव से युवा (पुरुष) पत्नी को दासी या नौकरानी न मानकर अपने समान सम्मान देना चाहते हैं।

तालिका क्र. 5 परिवार के महत्वपूर्ण मामलों में पत्नी

मत	संख्या	प्रतिशत
सलाह लेंगे	72	78.26
केवल बता देंगे	12	13.04
बताना उचित नहीं समझते	08	8.70
कुल	92	100

तालिका क्र. 05 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक 72 युवा मानते हैं कि परिवार के महत्वपूर्ण मामलों जैसे (बच्चों का विवाह, सम्पत्ति का लेन-देन) में पत्नी से सलाह लेंगे, 12 उत्तरदाता महत्वपूर्ण बातें केवल बताना उचित समझते हैं तथा 08 उत्तरदाता न तो सलाह लेना चाहते हैं और न ही बताना चाहते हैं। स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण मामलों जैसे (बच्चों का विवाह, सम्पत्ति का लेन-देन) में पत्नी से सलाह लेकर सम्मान देंगे।

तालिका क्र. 6 विवाह के बाद पत्नी से

मत	संख्या	प्रतिशत
यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ने देंगे	09	9.79
यदि नौकरी लगीं तो कराएंगे	05	5.43
उपयुक्त दोनों	70	76.08
घर से बाहर नहीं जाने देंगे	08	8.70
कुल	92	100

तालिका क्र. 06 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विवाह के बाद सबसे अधिक 70 युवा पत्नी को पढ़ाना एवं नौकरी कराना चाहते हैं, 09 युवा केवल पढ़ने देना चाहते हैं एवं 05 युवा नौकरी भी कराना चाहते हैं। साथ ही 08 युवा पत्नी को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। स्पष्ट है कि आज का युवा पत्नी को पढ़ाना एवं नौकरी कराना चाहता है। शिक्षा के माध्यम से भी वह पत्नी को सम्मान दिलाना चाहता है।

तालिका क्र. 7 ससुराल के प्रति रुचि

मत	संख्या	प्रतिशत
ससुराल में रहना चाहते हैं	14	15.21
आवश्यक होगा तो ससुराल जायेंगे	38	41.31
कभी कभी जायेंगे	30	32.61
कभी नहीं जायेंगे	10	10.87
कुल	92	100

तालिका क्र. 07 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ससुराल के संबंध में युवाओं की अलग अलग राय है, सबसे अधिक 38 युवा आवश्यक होने पर ही ससुराल जाना चाहते हैं, 30 युवा ऐसे हैं जो ससुराल कभी कभी जाना चाहते हैं, 14 युवा ससुराल में घरजमाई बनकर रहना चाहते हैं एवं 10 ऐसे युवा हैं जो ससुराल कभी भी जाना नहीं चाहते। पत्नी के सम्बन्ध में युवाओं की राय सकारात्मक हुई है लेकिन ससुराल के सम्बन्ध में तटस्थ है। जैसा कि बुंदेलखंड में कहावत है कि 'ससुराल कौ रह बो, गदा कौ चढ़बौ एक ही बात है, को सही साबित करते हुए अधिकांश युवा आवश्यक होने पर ही ससुराल जाना चाहते हैं और कुछ तो जाना ही नहीं चाहते।

तालिका क्र. 8

धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता से संबंधित रुचि

मत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	70	76.08
नहीं	10	10.87
कुछ कह नहीं सकते	12	13.05
कुल	92	100

तालिका क्र. 08 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सबसे अधिक 70 उत्तरदाता धार्मिक कार्यों में पत्नी को सहभागी बनाना चाहते हैं एवं 10 उत्तरदाता धार्मिक कार्यों में पत्नी को सहभागी नहीं बनाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि चूंकि धार्मिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है तो आज का युवा भी इस बात से सहमत है।

तालिका क्र. 9

राजनीतिक क्षेत्र में पत्नी की सहभागिता से संबंधित रुचि

मत	संख्या	प्रतिशत
हाँ	52	56.52
नहीं	18	19.57
कुछ कह नहीं सकते	22	23.91
कुल	92	100

तालिका क्र. 09 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजनीति में पत्नी को सहभागी बनाने के सम्बन्ध में 52 उत्तरदाता सहमति व्यक्त करते हैं एवं 18 उत्तरदाता पत्नी को राजनीति में सहभागी नहीं बनाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि वर्तमान पीढ़ी राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को स्वीकार करते हैं। 22 उत्तरदाताओं का इस मुद्दे पर तटस्थ रहना चिंताजनक है।

तालिका क्र. 10

यदि हाँ, तो कौन से चुनाव में

मत	संख्या	प्रतिशत
विधानसभा	04	7.69
लोकसभा	02	3.85
पंचायत	04	7.69
सभी	42	80.77
कुल	52	100

तालिका क्र. 10 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 52 उत्तरदाताओं में विधानसभा, लोकसभा एवं पंचायत चुनावों में सबसे अधिक 42 उत्तरदाता पत्नी को सहभागी बनाना चाहते हैं, 04 उत्तरदाता

विधानसभा, 04 उत्तरदाता पंचायत एवं 02 उत्तरदाता लोकसभा चुनावों में सहभागिता चाहते हैं। स्पष्ट है कि युवा शायद सभी चुनावों को समान मानते हैं इसलिए सबसे अधिक युवा महिलाओं को सभी चुनावों में सहभागी बनाना चाहते हैं।

तालिका क्र. 11

यदि पत्नी, विधायक, सांसद, सरपंच, मंत्री आदि बन जाती है तो उसके अधिकारों का प्रयोग

मत	संख्या	प्रतिशत
स्वतंत्रता पूर्वक करने देंगे	36	69.23
हमारी मर्जी से करने देंगे	06	11.54
सभी अधिकारों का प्रयोग हम स्वं करेंगे	10	19.23
कुल	52	100

तालिका क्र.10 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 52 उत्तरदाताओं में सबसे अधिक 36 उत्तरदाता पत्नी यदि विधायक, सांसद, मंत्री या सरपंच बन जाती है तो उन्हें उनके अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करने देंगे, 10 उत्तरदाता सभी अधिकारों का प्रयोग स्वं करेंगे एवं 06 उत्तरदाता अपनी मर्जी से अधिकारों का प्रयोग करने देंगे। स्पष्ट है कि जब समकालीन समाज में सरपंच पति, विधायक पति जैसी अवधारणायें प्रचलित रहीं हों वहीं आज का युवा उनके अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करने देना चाहते हैं। यह अच्छा संकेत है।

निष्कर्ष-

उपर्युक्त संपूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि शोध पत्र में रखे गए उद्देश्यों को पूर्ण किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय युवाओं के रुझान में विवाह के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। एक ओर तो अनेक युवा विवाह करना नहीं चाहते, दूसरी ओर उन्हें सामाजिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है तथा सोनमे काण्ड, नीले डम आदि के कारण पत्नी से डर लगने लगा है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आज भी विवाह में रुचि रखने वाले युवा सुन्दरता और शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं, धन (दहेज) को नहीं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि, जब पत्नी को दर्जा देने की बात आती है तो आज का युवा पत्नी को समान दर्जा देना चाहता है, वह परिवार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सलाह लेना चाहते हैं। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि आज का युवा पत्नी को पढ़ाना भी चाहता है और नौकरी भी कराना चाहता है। अध्ययन से यह भी पता चला है कि धार्मिक कार्यों में पत्नी को सहभागी बनाना चाहता है लेकिन ससुराल में न तो जाना चाहता है और न ही रहना चाहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की रुचि मिली जुली है, वह पत्नी को विधानसभा, लोकसभा एवं पंचायत चुनाव में सहभागी कराना चाहता है और उसके अधिकारों का प्रयोग उसे ही करने देना चाहते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची -

1. E. Westermarck, (1891) The History of Human Marriage, Vol. I, London, p. 26
2. R. H. Lowie, (1933) "Marriage" in Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. X, Pan American Institute of Geography and History, p. 146.
3. E. S. Bogardus, (1917) Introduction to Sociology, the University of Southern California Press, p. 75.
4. J. L. Gillin and J. P. Gillin, (1948) Cultural Sociology, The Macmillan Company in New York, p. 134.
5. कपाडिया, के. एम. (1966). मैरिज एंड फैमिली इन इण्डिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कोलकाता. पेज -167
6. पी.एच. प्रभु (P.H. Prabhu-1940). The Hindu Organisation, Popular Book Depot, Bombay, P.173
7. D. F. Mulla, (1906) Principles of Muslim Law, N.M. Tripathi Pvt. Ltd. Bombay, 423.
8. K. M. Kapadia, (1966) मैरिज एंड फैमिली इन इण्डिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कोलकाता. पेज 201.
9. Ameer Ali, (1902) The Spirit of Islam, S.K. Lahiri & co. Calcutta, p. 257
10. अहमद, आई. (1976). फैमिली, किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम इन इंडिया, Ramesh C. Jam. For Manohar Book Service, New Delhi.
11. <https://www.nascollege.org/econtent/ecotent-10-4-20/Dr%20Sanjeev%20Mah/Marriage%20M%20A%20IV%2021-4-2.pdf>
